न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—235/2017/223 (2017/00235)

1. शंकरलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम जेठाना, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. शौकिन पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल,
2. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल,
3. सीता पुत्री स्व0 श्री भंवरलाल,
4. गीता पुपत्री स्व0 श्री भंवरलाल,
5. संजु पुत्री स्व0 श्री भंवरलाल,
   सभी जाति जाट, निवासी ग्राम जेठाना, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 9.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 86/2012.

उपस्थितः—

1. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री नरेन्द्रसिह राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री भींयाराम चोधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः—28.9.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2017 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 136 राज0भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के दादा लादू पुत्र घीसा जाति जाट निवासी ग्राम लामाना, तहसील पीसांगन ने अपनी मृत्यु के समय अपने खातेदारी की आराजियात खाता संख्या 730/723 के खसरा नंबर 3167, 3217, 3218, 3219, 3221, 3231, 3232, 3333, 3331, 3335, 3336, 3337 कुल किता 12 कुल रकबा 7.93 है0 एवं खाता संख्या 731/138 के खसरा संख्या 3214, 3215/6532, 3220, 3222, 3331/6090 कुल किता 5 कुल रकबा 4.55 है0 छोड़ी जो प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार में चली आ

रही है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 अपने दादा लादू पुत्र घीसा की मृत्यु कू समय पूर्ण रूप से बालिग एवं व्यस्क थे जिनकी मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 सबसे बड़ा पोता एवं वादीगण क्रमशः मृतक लादू पुत्र घीसा के पोते एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र, पुत्री तथा प्रतिवादी संख्या 2 के छोटे भाई बहिन होने से संयुक्त काबिज वारिस उत्तराधिकारी नियुक्त हुए जो आज दिवस तक अविभाज्य संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है । वादीगण के दादा लादू पुत्र घीसा की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी संख्या 1 परिवार का मुख्यि एवं कर्ता खानदान होने से ग्राम पंचायत से लादू पुत्र घीसा का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर लादू पुत्र घीसा द्वारा छोड़ी गयी समस्त कृषि भूमियों को राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गई थी जबकि विवादित आराजियात पैतृक सम्पति होने से उसमें प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ वादीगण एवं प्रतिवदी संख्या 2 भी बराबर के हक हिस्सेदार विधिक वारिसान है । अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर लादू पुत्र घीसा द्वारा छोड़ी गयी कृषि भूमि पर वादीगण का बनने वाले हिस्से की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग खाता कायम किया जावे तथा विधिक बंटवारा करके प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 9.6. 2017 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को विवादित आराजियात में 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए तहसीलदार को कुरेजात रिपोर्ट भेजने के निर्देश देते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक बाध्यकरी प्रावधानों एवं न्याय, नियमों तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याय0 की आदेशिका के अनुसार दिनांक 28.1.2013 से 25.11.2016 तक केवल दो बार कोई की कार्यवाही पीठासीन अधिकार ने सम्पन्न की है और इनमें भी सरकार का जवाब दावे के लिये आगामी पेशियां दी गई और पहली पेशी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कौ गैर–हाजिर बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये लेकिन अचानक ही दिनांक 27.1.2017 को पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अनपुस्थित बताकर आवेदन को निरस्त कर दिया और उसके बाद पुनः साक्ष्य में दो पेशियां देकर बिना वादी साक्ष्य लि व बिना सरकार जवाब पत्रावली पर लिये अथवा उसे बंद किये वाद को प्राथमिक रूप से डिक्री करदिया जो विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल पुत्र लादू जाट वादीगण जो कि वर्तमान अपील में रेस्पो0 संख्य 1 से 5 के पिता है, कि मृत्यु हो चुकी है जो गंभीर बीमारी की अवस्था में होने से अपीलांट व उनके पिता भंवरलाल न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके और ना ही अपनी प्रतिरक्षा में कोई कार्यवाही नहीं कर सके थे । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पिता भंवरलाल की मृत्यु हो चुकी है । एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया और प्रार्थी/अपीलांट के वकील न्यायालय में उपस्थित होने से पूर्व ही समय

से पहले कोर्ट से उठकर चले गये और जब उनके कमरे में जाकर मिला गया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि आवेदन स्वीकार कर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त कर प्रतिरक्षा का अवसर दियेजाने का आदेश लिखा दिया जावेगा किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर अपीलांट को कोर्ट कैम्प की सूचना दिये बिना वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रत्येक का 1/7, 1/7 की डिक्री पारित की है किन्तु अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पिता भंवलाल की मृत्यु होनें से 1/7 हिस्सा नहीं बनता है । यह भी कथन किया कि स्व0भंवरलाल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि का बैचान कर दिये जाने के तथ्यों को छिपाते हुए क्लीन हेन्ड से वाद प्रस्तुत नहीं किया था तथा प्रतिवादी/अपीलांट को भी सही तथ्य प्रस्तुत करने एवं जवाबदावा का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री 9.6.2017 अपास्त की जावे तथा वाद अपीलांट को प्रतिरक्षा में जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थी/अपीलांट को दिनांक 8.9.2017 को तब हुईजब अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात पर जबरन कब्जा करने आये और झगड़ा–फसाद करने लगे तथा बताया कि न्यायालय से निर्णय व डिक्री उनके पक्ष में हो गया है । तत्पश्चात् प्रार्थी/अपीलांट ने निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । प्रार्थी के अधी0न्याया0 में नियुक्त अभिवक्ता ने अपीलांट को तारीख पेशियों की जानकारी नहीं दी तथा अधिवक्ता स्वंय भी अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं हुआ जिससे निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । विलंब के सद्भाविक एवं उचित कारण होने से अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्य 1 लगायत 5 ने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में अपीलांट एवं श्री भंवरलाल को पकरण के सम्मन विधिवत् रूप से तामील हो जाने के उपरांत भी अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं हुए जिससे इनके विरूद्ध अधी0न्याया0 द्वारा एकतरफा कार्यवाही की गई है । उक्त एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियत 7 जा0दी0 पेश यिका था जिसके विचाराधीन रहते अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट को दिनांक 10.5.2016 को अंतिम अवसर प्रदान इसके उपरांत भी अपीलांट अनुपस्थित रहे जिस पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियत 7 जा0दी0 अपास्त किया है। अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता के उदासीन कृत्य एवं व्यवहार के लिये न्यायालय को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट स्वंय भंवरलाल का पुत्र है तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का सगा भाई है जिसे भंवरलाल का स्वर्गवास दिनांक 7.7.2017 को होने के संबंध में संपूर्ण जानकारी थी । अधी0न्याया0 द्वारा भंवरलाल के स्वर्गवास दिनांक 7.7.2017 से पूर्व निर्णय दिनांक 9.6.2017 को पारित किया जा चुका था । विवादित भूमियां पैतृक है जिसमें प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है । अपीलांट ने अपनी अपील में यह नहीं बताया है कि 1/7 हिस्से बाबत् पारित डिक्री किस प्रकार गलत है अपनी अपील में स्पष्ट नहीं किया है । बहस में आगे कथन किया कि

निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 9.6.2017 की पालना में नामांतकरण संख्या 2170दिनाक 11.9.2017 को स्वीकृत हो जाने के पश्चात् भंवरलाल का स्वर्गवास हो जाने से जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 2190 दिनांक 6.11.2017 को स्वीकार किया जाकर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के नाम 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज किया जा चुका है । इस पकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन हो जाने से भी निरस्त योग्य है। अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी तत्समय नहीं हो सकने के संबंध में अपीलांटस द्वारा किया गया कथन उचित प्रतीत होता है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 14.9.2012 को वादपत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने के आदेश पारित कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.10.2012 नियत की । आगामी तारीख पेशी दिनांक की आदेशिका में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण को जारी सम्मन बाद तामील रिपोर्ट प्राप्त हुए है जो शामिल मिसल किये गये । सरकार पैरोकार उपस्थित । जवाब हेतु समय चाहते है । प्रतिवादी संख्य 1 व 2 बावजूद सम्मन तामील के कोई उपस्थित नहीं । उन्हें भिन्न–भिन्न समय पर आवाजे दिलाई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं । अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 31.12.2012 के अवलोकन से यह भली–भांति स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रथम पेशी पर ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 7.2.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से अभिभाषक श्री मृणाल शर्मा एवं श्री सी0पी0शर्मा ने वकालनामा मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 पेश किया तथा अधी0न्याया0 ने प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.4.2014 नियत की । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने प्रकरण में दिनांक 27.1.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अनुपस्थित रहने पर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 को खारिज करने के आदेश पारित किये । तत्पश्चात् दिनांक 9.6.2017 को प्रकरण में वादीगण/रेस्पो0 की एकतरफा बहस सुनकर वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है । अधी0न्याया0 की उक्त कार्यवाही से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण को निर्णित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि वाद में प्रतिवादी को जवाबदावे का समुचित अवसर प्रदान करते तत्पश्चात् वाद में वादपत्र एवं जवाब दावे के आधार पर आवश्क तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण के

विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं ठहराया जा सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना उचित समझते है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् नहीं पाये जाने से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एव ंविद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन का निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर